निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आश्विन 1940 (श0)

(सं0 पटना 896) पटना, बुधवार, 3 अक्तूबर 2018

सं० 8प/वि–5–131/2013/पं0रा0/5482

पंचायती राज विभाग

संकल्प

1 अक्तूबर 2018

विषयः– त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित घोषित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान ₹5,00,000.00 (पांच लाख रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति के संबंध में।

त्रिस्तरीय पंचायतों को प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यों में जनसहभागिता प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध तरीके से शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहे हैं। फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के दायित्वों में भी वृद्धि हुई है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है जिसके संबंध में विभिन्न स्तर के जनप्रतिनिधियों द्वारा इनका बीमा कराये जाने की मांग की जाती रही है तथा सदन में प्रश्न भी पूछे गये हैं। इसी को दृष्टिपथ में रखते हुए त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर अनुग्रह अनुदान के रूप में ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) मात्र की राशि मृतक के आश्रित को दिये जाने का प्रावधान पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या–8प/वि0–5–131/2013/पं0रा0/9641 दिनांक 08.12.2014 के माध्यम से किया गया था। विभागीय पत्रांक–8प/वि–5–131/2013/2514 दिनांक 05.05.2015 द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि का ₹1,00,000.00 (एक लाख रुपये) मात्र की राशि से बढ़ाकर ₹5,00,000.00 (पांच लाख रुपये) मात्र की राशि किया गया है।

उक्त अनुग्रह अनुदान ₹5,00,000.00 (पांच लाख रुपये) मात्र की राशि को विभागीय संकल्प संख्या–8प0/वि0–05–131/2013/पं0रा0/6815 दिनांक–25.10.2016 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचन की तिथि से पद पर बने रहने तक के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में दिये जाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद् सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख/उप–प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत के

मुखिया/उप–मुखिया एवं ग्राम पंचायत सदस्य तथा ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच एवं ग्राम कचहरी सदस्य (पंच) को निर्वाचित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में हुई मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की राशि ₹5,00,000.00 (पांच लाख रुपये) मात्र की राशि का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। **किन्तु यदि मृतक स्वयं भी आपराधिक घटना में संलिप्त रहे हों या उनकी मृत्यु पुलिस/सुरक्षा बलों आदि से मुठभेड़ में हो जाती है तब उनके आश्रित को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।** यह सुविधा पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के मतदान की तिथियों की घोषणा की अधिसूचना जारी होने की तिथि 25.02.2016 से लागू होगी।

2. उपर्युक्त अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

3. त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधि की मृत्यु अगर आतंकवादी/उग्रवादी/साम्प्रदायिक/जातीय विरोधाभाव/निर्वाचन संबंधी हिंसा/सामूहिक हिंसा एवं हिंसा की घटनाओं में होती है और मृतक के आश्रितों को गृह विभाग (विशेष), बिहार सरकार के संकल्प संख्या–ए0/विविध–(38)–60–2008–8960 दिनांक 30.09.2013 (समय–समय पर यथा संशोधित) के माध्यम से किये गये प्रावधान के आलोक में अनुग्रह अनुदान प्राप्त हो चुका हो तो उन्हें पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा अनुमान्य उपर्युक्त अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

4. इस मद में होने वाला व्यय राज्य स्कीम के निम्नांकित बजट शीर्ष से विकलनीय होगाः–

''मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत स्थापना अंतर्गत–0101.37.01–अनुग्रह अनुदान''। इसका विपत्र कोड–16-2515000010101 एवं मांग संख्या–16 है।

इस मद में पर्याप्त आवंटन जिला पदाधिकारी को समय–समय पर दिया जायेगा।

5. यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये।

आदेश से,
अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 896-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in